न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज०)
(पीठासीन अधिकारी अंकित कुमार सिंह, आई.ए.एस)

प्रकरण सं0 12 / 2022 दायर दिनांकः–18.04.2022
जीसीएनएस नं. 2022 / 20 फैसल दिनांकः–24.04.2024

राज्य सरकार जरिए पुष्पेन्द्र सिंह चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री अनिल कुमार जोशी पिता अम्बालाल जोशी, निवासी शिवाजी नगर, सदर थाने के पास, डूंगरपुर

अप्रार्थी

उपस्थित– प्रार्थी की ओर से राजकीय पेरोकार
विपक्षी की ओर से श्री अमोल जैन अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए(1)(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

— आदेश —

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 14.03.2022 को वृत्ताधिकारी वृत डूंगरपुर को रीया केटर्स डूंगरपुर के गोदाम परिसर में अवैध घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग की शिकायत प्राप्त होने पर डूंगरपुर वृत्ताधिकारी राकेश शर्मा, कार्यवाहक जिला रसद अधिकारी श्री रामचन्द्र शेखावत एवं प्रवर्तन निरीक्षक पूष्पेन्द्रसिंह चौधरी मय पुलिस जाब्ता हाउसिंग बोर्ड शिवाजी नगर स्थित रीया केटर्स के गोदाम पर पहुंचे। वहां पर रीया केटर्स के मालिक श्री अनिल कुमार पुत्र श्री अम्बालाल जोशी उपस्थित मिले पुछताछ करने पर श्री अनिल कुमार ने बताया वह रीया केटर्स में मिठाईया बनाते है एवं उनकी रीया मिष्ठान भण्डार की दुकान तरूण सागर चौराहे पर स्थित है उनके द्वारा शादी के आर्डर भी लिये जाते है। मौके पर 17 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मिले जिनमें 10 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, 6 इण्डेन एवं 1 भारत गैस कम्पनी का था। मौके पर लक्ष्मी गैस एजेन्सी के मेनेजर श्री भारतेन्दु आमलिया तथा गैस सप्लायर्स श्री दिनेश अहारी को इलेक्ट्रोनिक कांटा लेकर रीया केटर्स के गोदाम पर बुलाया गया। उक्त 17 घरेलु सिलेण्डरों का इलेक्ट्रोनिक कांटे पर वजन करने पर 17 सिलेण्डरों मे से 10 गैस सिलेण्डर खाली पाये गये एवं 7 गैस सिलेण्डरों में कुल 16.8 कि.ग्रा. गैस पायी गयी। जांच में मिले 17 घरेलु सिलेण्डरों को एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के उल्लंघन के कारण फर्द अभिग्रहण तैयार कर कब्जे राज लिये गये। श्री भारतेन्दु आमलिया मेनेजर लक्ष्मी एचपी गैस एजेन्सी डूंगरपुर को सुपुर्दगी में दिये जाकर जब्तशुदा 17 घरेलु गैस

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

सिलेण्डर्स आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए(1)(2) के तहत राजसात करने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब किया गया। विपक्षी उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। प्रकरण में राजकीय पेरोकार/विभागीय प्रतिनिधि एवं वकील विपक्षी की बहस सुनी गई। राजकीय पेरोकार द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरात हुए कब्जे में लिये गये उक्त 10 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, 6 इण्डेन एवं 1 भारत गैस कंपनी के कुल 17 घरेलु गैस सिलेण्डर्स मय 16.8 किलोग्राम लिक्विड पैट्रोलियम गैस आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 A(1)(2) के तहत राजसात करने हेतु निवेदन किया। विपक्षी की ओर से प्रकरण में कोई जवाब पेश नहीं किया गया एवं दौराने बहस जब्तशुदा उक्त 17 घरेलु गैस सिलेण्डर्स को राजसात करने पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने का कथन किया।

हमारे द्वारा पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजकीय पेरोकार एवं वकील विपक्षी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि जांच में 10 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, 6 इण्डेन एवं 1 भारत गैस कंपनी के कुल 17 घरेलु गैस सिलेण्डर्स मय 16.8 किलोग्राम लिक्विड पैट्रोलियम गैस का अवैध रूपेण भण्डारण करना पाया गया। विपक्षीगण का उक्त कृत्य एलपीजी गैस कन्ट्रोल ऑर्डर 2000 के क्लॉज 3, 4 एवं 7 की स्पष्ट अवहैलना होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर 10 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, 6 इण्डेन एवं 1 भारत गैस कंपनी के कुल 17 घरेलु गैस सिलेण्डर्स मय 16.8 किलोग्राम लिक्विड पैट्रोलियम गैस आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 A (2) के तहत राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त 17 घरेलू गैस सिलेण्डर्स मय 16.8 किलोग्राम लिक्विड पैट्रोलियम गैस का नियमानुसार निस्तारण कर पालना रिपोर्ट पेश करें।

आदेश आज दिनांक 24.4.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर